न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : 2015 / 19

1. हरदेव आयु 65 वर्ष पुत्र ओंकार जाति कुम्हार निवासी ग्रांम दहमीकलॉ, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. प्रहलाद पुत्र ओंकार "मृतक दौराने वाद"

   2/1 श्रीमती नोरती देवी पत्नि स्व0 प्रहलाद आयु 59 वर्ष

   2/2 भंवर आयु आयु 41 वर्ष

   2/3 जयकुमार आयु 38 वर्ष

   2/4 रामरतन आयु 34 वर्ष

   2/5 दिनेश आयु 32 वर्ष

   पुत्रान् स्व0 प्रहलाद जाति कुम्हार निवासीयान ग्रांम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादीगण –

बनाम

1. श्रीमती नानछी देवी पत्नि स्व0 रानारायण
2. सागर
3. रामविलास
4. ओंमप्रकाश

   पुत्रान् स्व0 रामनारायण जाति कुम्हार निवासी ग्रांम दहमीकलॉख, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. चमन देवी पुत्री स्व0 रामनारायण पत्नि रूपनारायण जाति कुम्हार निवासी स्वामियो की ढाणी, सांभर, जिला जयपुर।
6. रामेश्वर पुत्र ओंकार जाति कुम्हार निवासी ग्रांम दहमीकलॉ, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक सांगानेर द्वितीय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण –

<u>स्थाई बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र सिंह वकील – वादी

2. श्री राजकुमार चौधरी – वकील प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर एवम् कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

निर्णय –

दिनांक

वादी की ओर से प्रस्तुत राजस्व वाद का संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है:

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1054 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 1055 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 1072 रकबा 0.07 है0, खसरा नंबर 1082 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 1082/2601 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 1104 रकबा 0.22 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.92 है0 वाकै ग्रांम दहमीकलॉं, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/4 हिस्सा, संयुक्त अभिभाजित है तथा उसी हिस्सेनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा उक्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मध्य आज दिन तक विधिवत बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 के पति एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पिता रामनारायण का स्वर्गवास हो गया है, लेकिन उनकी विरासत का नामान्तकरण नहीं खुला है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 रामनारायण के वारिस व कानूनी उत्तराधिकारी है, जिससे उन्हें वाद में पक्षकार बनाया गया है तथा वाद पत्र के मद नंबर 1 में वर्णित भूमि खसरा नंबर 1072 में से 0.06 है0 भूमि जे.डी.ए. द्वारा ले ली गई, जिससे उक्त खसरा नंबर 0.07 है0 भूमि ही पक्षकारान के खातेदारी व कब्जे काश्म में है। प्रतिवादीगण की नियत में कुछ समय से बेईमानी व फितूर आया हुआ है तथा आपस में मिलीभगत व नाजायज सांठगांठ कर रखी है एवं वादीगण से द्वेषता रखते है, जिससे वाग्रस्त भूमि को अन्य व्यक्ति संस्था आदि को विक्रय, हस्तान्तरण, रहन, बैय, बख्शीश आदि कर वादीगण को जबरन बेदखल करने व उक्त भूमि पर निर्माण आदि कर उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित आदि कर उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित आदि कर वादीगण के हिस्से की भूमि को हडप करने पर आमादा हो रहे है। इसी नियत से दिनांक 24.06.2014 को प्रतिवादीगण अपने साथ 8–10 अन्य व्यक्तियों को लेकर एकराय होकर वाद वर्णित भूमि पर आये तथा भूमि पर निर्माण आदि करने एवं भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण, रहन, बैय, बख्शीश आदि करने की बातचीत करने लगे, जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 से उक्त गैर कानूनी कृत्य करने हेतु मना किया तथा भूमि का तकासमा करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 व उनके साथ आये अन्य व्यक्ति वादीगण से नाराज हो गये तथा वादीगण के साथ गाली गलौच की एवं वादीगण को भूमि से बेदखल करने पर आमाद हो गये, जिसका वादीगण ने विरोध किया तो मौके पर हल्ला सुनकर आसपास के काश्तकारों व राह चलते व्यक्तियों की काफी संख्या में भीड इकट्ठी हो गई, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 व उनके साथ आये अन्य व्यक्ति उस समय तो मौके पर से चले गये लेकिन जाते समय वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि वे शीघ्र ही मौका प्राप्त कर उक्त भूमि पर निर्माण आदि कर उक्त भूमि को अन्य व्यक्ति संस्था इत्यादि को बिक्रय, हस्तान्तरण, रहन, बैय, बख्शीश कर वादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा कर कब्जा अन्य व्यक्ति संस्था इत्यादि को संभला कर भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित करके रहेगे तथा तकासमा करने हेतु साफ इन्कार कर दिया, जिसका की उन्हे किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण कृषक, अनपढ व शान्तिप्रिय व्यक्ति है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 धनबल व भुजबल में काफी शक्तिशाली है तथा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 प्रसासनिक अधिकारी है, जिनका मुकाबला वादीगण बिना मान्य न्यायालय की सहायता

सहायक कलक्टर एवम् कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

करने में असमर्थ है। अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण सव्यय न्यायालय सहित डिक्री फरमाया जाकर वाद वर्णित भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मध्य वाद में वर्णित हिस्सेनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा किया जाकर उसी अनुसार अलग खाता कायम किया जाकर अलग से पर्चा लगान जारी किया जावे। वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ जमाबंदी ग्राम दहमीकलां संवत 2067 से 2070 पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से श्री राजकुमार चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 6 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को भूमि विवादग्रस्त हाल वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1054 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 1055 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 1072 रकबा 0.07 है0, खसरा नंबर 1082 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 1082/2601 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 1104 रकबा 0.22 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.92 है0 वाकै ग्रांम दहमीकलॉ, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 का 1/4 हिस्सा तकासमा करने में कोई आपत्ति नही है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का 1/4 हिस्सा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिवत विभाजन किया जावे व लगान पृथक से तय किया जावें।

विचाराधीन वाद में पक्षकारान् द्वारा आपसी सहमति से वाद में तकासमा किये जाने हेतु अपनी सहमति दी। इस हेतु उभयपक्ष अधिवक्तागण ने अपने हस्ताक्षर आदेशिका पर अंकित कियें।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद बाबत् तकासमा पेश किया गया है जिसमें वादीगण एवम् प्रतिवादीगण सह–खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड जिनके मध्य अभी तक विधिवत तकासमा नही हुआ है। जब पक्षकार आपसी सहमति से तकासमा हेतु सहमत है तो वाद में तकासमा किया जाना उचित समझते है। अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात हाल खसरा नंबर 1054 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 1055 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 1072 रकबा 0.07 है0, खसरा नंबर 1082 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 1082/2601 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 1104 रकबा 0.22 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.92 है0 वाकै ग्रांम दहमीकलॉ, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तकासमा कर अलग–अलग खाता व लगान कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 12/06/19 से पूर्व भिजवायें। इस आशय की प्राथमिक डिक्री व तहरीर तहसीलदार सांगानेर को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02/05/19 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवम् कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2019.11.21 15:23:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: